संख्याः 43/9–आ–3–98–12 काम्प/98

प्रेषक,

**श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1. समस्त अध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण।
**2. समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण।
**3. आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 9 जनवरी, 1998

**विषकः सड़क के फुटपाथों, नालियों पर से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

भूस्वामियों द्वारा सड़कों के फुटपाथ पर मिटटी डालकर उंचा करके उन्हें घेरने तथा उनके किनारे बरसाती पानी की निकासी हेतु बनी नालियों को मिटटी से भरकर,उनमें फूल पौधें लगाने एवं निजी उपयोग में लाने की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही हे जिसका सबसे बुरा असर सड़कों के मध्य में स्थित डामर की सतह पर पड़ रहा है।

स्थिति यह है कि बरसाती पानी की निकासी के लिये बनायी गयी नालियां बन्द होने जाने व फुटपाथों के लैवेल भू–स्वामियों द्वारा मिटटी भरकर ऊंचा कर देने के कारण बरसाती पानी अब सड़कों के बीच से डामर के ऊपर से बहता है जिससे सड़कों का सब–ग्रड दलदला हो जाता है तथा टैफिक चलने पर अच्छी से अच्छी सड़क भी एक आध सप्ताह में ही टूटने लगती है। अतः सड़कों की रक्षा के लिये ऐसे अतिक्रमणों मलवे/मिटटी को शीर्ष प्राथमिकता पर हटाना आवाश्यक हो गया है जिसके फलस्वरूप सड़क पर पानी एकत्र होता है तथा नालियों में पानी नहीं जा पाता है अथवा नाली में बहाव अवैध होता है। इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने में चूंकि किसी व्यक्ति के बेघर होने का प्रश्न नहीं है बल्कि सड़कों पर सुधार होगा। अतः इसके कार्यान्वयन में जनाता का अच्छा सहयोग मिलेगा, यदि उद्देश्यों का उचित रूप से प्रसार किया जाये। इस समस्या के निपटने के लिए निम्न कार्य योजना तैयार की गयी है :–

1. भू–स्वामियों तथा जनमानस की यह स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक है कि सड़क पर इस प्रकार के अतिक्रमण का प्रतिफल यातायात के लिये उपलब्ध सीाान को कम करने के साथ–साथ डामर के ''सरफेस'' आयु को कम करना है उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाना याहिये कि प्राधिकरण/नगर निमम/नगर पालिका उनसे अपने भूखण्डों के सामने की नाली हर समय साफ रखने तथा पटरी को निर्धारित ढाल देकर चौरस रखने की अपेक्षा करता है।

2. इस प्रकार के अतिक्रमण हटाओं अभियान प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र के निवासियों को समस्या से अवगत कराते हुएसहयोग की अपेक्षा/अपील की जानी चाहिए। यथासम्भव रेजीडेन्ट संघों को भी इसमें सम्मिलित रखें, जिससे बलपूर्वक इस प्रकार के अतिक्रमण हटाने से पूर्व स्वैच्छिक अनुपालन प्राप्त हो सके।

3. बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने से पूर्व जनप्रतिनिधियों को बैठक कर विश्वास में लेते हुए यथासम्भव सर्वसम्मति से इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु नीति तैयार की जाय जिसका उचित रूप से प्रचार एवं प्रसार किया जाय। अभियान को प्रारम्भ करने से लगभग 7 से 10 दिन पूर्व स्थल पर स्थानीय नागरिकों के मार्गदर्शन हेतु मौके पर निशान लगवाये जायें अथवा कुछ सीानों से मिट्टी/मलवा हटाया जाय। जनता को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि अतिक्रमणकर्ता निर्धारित समय से स्वयं अतिक्रमण हटा ले। यदि निर्धारित समय में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति के उपरान्त एक अभियान के रूप में योजनाबद्ध तरीके, सड़कों को इस प्रकार साफ कराया जाय कि नाली खुल जाये तथा सड़क पर डामर की सतह पर पानी कदापि न एकत्र हो, की शुरूआत की जाये। बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आये स्पष्ट नीति अपनाते हुए समस्त अतिक्रमण को हटवाने में आये व्यय को सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता से वसूला जायेगा।

4. इस बात ध्यान में रखा जाय कि अभियान का लक्ष्य अतिक्रमण हटाकर सड़कों के जीवन को बढ़ाना तथा जनमानस को सड़क पर चलने की सुविधा प्रदान करना हे न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। इसीलिये यह आवश्यक है कि अतिक्रमण हआने के कार्यक्रम में कोई अचानक (Surprise) न हों, वरन् कार्यक्रम की पूर्व जानकारी हो, जिससे अतिक्रमणकर्ता यदि चाहे तो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा सके।

भवदीय,
**अतुल कुमार गुप्ता**
सचिव

संख्याः (1)/9–आ–3–98 तददिनांक
प्रतिलिपि :

(1) सचिव, नगर विकास विभाग को इस अनुरोध से प्रेषित है कि स्थानीय नगर निकाय को भी समुचित निर्देश देने का कष्ट करें।
(2) आवास बन्धु गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
**पी0एन0 सिंह**
अनु सचिव